TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 27TH OCTOBER, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi the 27th October, 1995

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas vide notification number S.O. 15(E) dated 11th January, 1994 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 the Sri Sathya Sai Gramin Jagriti Seva Sadan (A multi-dimensional Rural Welfare Project) including health care, education, sports, spiritual activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryana of Sri Sathya Sai Gramin Jagriti, Sai Sadan, House No. 551, Sector 8-B, Chandigarh-160018, Haryana, as an eligible project or scheme for a period of two assesment years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the Sri Sathya Sai Gramin Jagriti Seva Sadan (A multi-dimensional Rural Welfare Project) including health care, education, sports, spiritual activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryana, which is being carried out by Sri Sathya Sai Gramin Jagriti, Sai Sadan, House No. 551, Sector 8-B, Chandigarh-160018, Haryana, at the estimated cost of rupees thirty two lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from the assessment year 1996-97.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 9904
F.No. NC-102/95

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-2, खण्ड-3 उप खण्ड(ii) में दिनांक 27 अक्तूबर, 1995 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

—

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 1995.

अधिसूचना

का0आ0 (अ):- केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन दिनांक 11 जनवरी, 1994 को जारी अधिसूचना सं0 15(अ) द्वारा क्रम सं0 12 पर सत्य साईं ग्रामीण जागृति, साईं सदन, हाऊस नं0 551, सेक्टर 8 बी चण्डीगढ़-160018 हरियाणा की ग्राम दारवा जिला-यमुना नगर, हरियाणा में श्री सत्यसांई ग्रामीण जागृति सेवा सदन(बहु उद्देशीय ग्रामीण कल्याण परियोजना) जिसमें स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, क्रीड़ा, आध्यात्मिक क्रियाकलाप और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है,

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्यसांई ग्रामीण जागृति सेवा सदन(बहुउद्देशीय ग्रामीण कल्याण परियोजना)

—2/—

ग्राम दारवा जिला-यमुनानगर, हरियाणा, जिसमें स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, क्रीड़ा आध्यात्मिक कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है को, जो सत्यसाईं ग्रामीण जागृति, साई सदन, हाऊस सं0 551, सेक्टर 8-बी चंडीगढ़-160018 हरियाणा द्वारा चलाई जा रही है, 32 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले तीन और निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(वी0 के0 सहगल)
उप-सचिव, भारत सरकार

सं0 9904

का0 सं0 एन0 सी0 102/95

/दांडेकर/